1 100 copy
2.10.02

S207
14-08-2002

39

झारखण्ड सरकार,
वित्त विभाग ।

रांची, दिनांक- वीं अगस्त-2002

संकल्प-

विषय- राज्य कर्मियों के लिए सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना ।

राज्य के सेविवर्ग को केंद्रीय सेवा शर्त्तें के साथ केन्द्रीय वेतनमान एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने में बनी सैद्धान्तिक सहमति के आलोक में गठित फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के अनुरूप राज्य कर्मियों को केन्द्रीय वेतनमान सहित अन्य भत्तों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। फिटमेंट कमिटी ने सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ए०सी०पी०) का लाभ राज्य कर्मियों को भी प्रदान करने की अनुशंसा की है ।

2. राज्य सरकार ने फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा एवं केन्द्र में लागू सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना पर सम्यक रूप से विचार करते हुए अपने सेविवर्ग के लिए इस योजना को निम्नरूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है :-

1- राज्य कर्मी जिन्हें सम्वर्गीय प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला है, को 12/24 वर्षों की नियमित संतोषप्रद सेवा पूरी होने पर क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण का लाभ सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ए०सी०पी०) के तहत प्रदान किया जाय ।

2- यह वित्तीय उन्नयन, प्रोन्नति के सर्वथा योग्य कर्मी को, जिस संवर्ग विशेष में वित्तीय उन्नयन विचाराधीन हो, उसमें सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त होकर क्रमशः 12/24 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरांत ही अनुमान्य होगा ।

3. यह वित्तीय उन्नयन संबंधित सेवक को उसके संवर्ग के लिए निर्धारित प्रोन्नति के वर्तमान पद सोपान के वेतनमान में मिलेगा और इसके लिये वित्त विभाग के संकल्प सं0-660/वि.(2), दिनांक-8-2-1999 एवं इस क्रम में निर्गत अन्य आदेशों द्वारा स्वीकृत वेतनमान ही प्रासंगिक होंगे । जहाँ प्रोन्नति के पद सोपान निर्धारित नहीं है या पद सोपान में दो से कम प्रोन्नति के पद वर्णांकित है, वहाँ अनुसूची-1 के अनुसार उच्चतर वेतनमानों में वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जायेगा ।

3- सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत वित्तीय उन्नयन निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन स्वीकृत किया जा सकेगा -

1. ए०सी०पी० योजना सरकारी सेवकों को व्यक्तिगत आधार पर वित्तीय उत्क्रमण द्वारा मात्र उच्चतर वेतनमान/वित्तीय लाभ प्रदान करने पर विचार करता है । अतः यह न तो कार्यात्मक (/नियमित प्रोन्नति के बराबर होगा न ही इस हेतु नये पद सृजन की आवश्यकता होगी ।

2. इस योजना के अंतर्गत वित्तीय उत्क्रमण रू0 14,300-18,300/-तक के उच्चतम वेतनमान तक सीमित रहेगा । इससे उच्चतर वेतनमान में वित्तीय उन्नयन अनुमान्य नहीं होगा तथा इससे उच्चतर पदों को दृढ़ता पूर्वक रिक्तियों पर आधारित पदोन्नति से भरे जायेंगे ।

3. सी०ए०सी०पी० योजना का लाभ निर्धारित पात्रता अवधि पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 9-8-99, जो बाद की तिथि हो, से प्रदान किया जायेगा । किन्तु बकाया की गणना झारखंड राज्य के गठन अर्थात दिनांक 15-11-2000 तक ही सीमित रहेगी । दूसरे शब्दों में, दिनांक 15-11-2000 के पूर्व का कोई भी बकाया अनुमान्य नहीं होगा ।

4. ए०सी०पी० योजनान्तर्गत 12 वर्षों की नियमित सेवा के पश्चात प्रथम वित्तीय उत्क्रमण तथा प्रथम वित्तीय उत्क्रमण के पश्चात 12 वर्षों की लगातार नियमित सेवा के उपरांत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण अन्य निर्धारित शर्त्तों के पूरा करने के अधीन प्रदान की जायेगी । दूसरे शब्दों में, अगर प्रथम उत्क्रमण सरकारी सेवक की अयोग्यता अथवा विभागीय कार्रवाई के कारण लंबित रहता है तो इसका परिणामी प्रभाव द्वितीय उत्क्रमण पर भी होगा, जो तदनुसार विलंबित होगा । इस अवधि में अगर कोई कर्मचारी प्रशिक्षण, वाह्य सेवा शर्त्त छुट्टी में रहते हैं, तो प्रशिक्षण, वाह्य सेवा, छुट्टी आदि

(लगा....2 पर)

के संबंध में जब तक अंतिम निर्णय न लेकर यह सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि तत्संगत अवधि प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्य पर मानी जायेगी, तबतक विवादित अवधि की गणना ए०सी०पी०ओ० के निमित्त नहीं की जायेगी ।

उपर्युक्त शर्त के अधीन यदि कोई सरकारी सेवक 24 वर्षो की नियमित सेवा पूरी कर चुका है एवं उसे दो या एक भी नियमित प्रोन्नति नहीं मिली हो तो उसे सीधे द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण स्वीकृत किया जायेगा । इसके अतिरिक्त प्रथम वित्तीय उत्क्रमण के लिए आवश्यक नियमित सेवा से अधिक की गयी नियमित सेवा का लाभ द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण हेतु जोड़ा जायेगा । दूसरे शब्दों में, यदि कोई सरकारी सेवक 12 वर्षो से अधिक किन्तु 24 वर्षो से कम की नियमित सेवा की है, तो प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ तुरंत दिया जायेगा एवं 12 वर्षो की सेवा से अधिक की गई नियमित सेवा को द्वितीय वित्तीय उन्नयन हेतु अतिरिक्त 12 वर्षो की नियमित अर्हक सेवा में जोड़ा जायेगा तथा संबंधित कर्मी को 24 वर्षो की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि को द्वितीय वित्तीय उन्नयन प्रदान करने पर इस योजना के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि से 12 वर्षो की नियमित सेवा का इंतजार किये बिना किया जायेगा ।

5. पूरे सरकारी सेवा अवधि में ए०सी०पी०ओ० योजना के अंतर्गत दो वित्तीय उत्क्रमण की गणना श्रेणी विशेष, जिसमें संबंधित सरकारी सेवक सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त हुआ हो, से उपभोगित नियमित प्रोन्नति के विरूद्ध की जायेगी । तात्पर्य यह कि ए०सी०पी०ओ० योजना के अंतर्गत दो वित्तीय उत्क्रमण तभी उपलब्ध होगा, जब निर्धारित अवधि 12 वर्ष एवं 24 वर्ष में सरकारी सेवक द्वारा कोई नियमित प्रोन्नति का उपभोग नहीं किया गया होगा । अगर कोई कर्मी पहले ही नियमित प्रोन्नति पाकर ए०सी०पी०ओ० योजनान्तर्गत अनुमान्य द्वितीय वित्तीय उन्नयन का वेतनमान प्राप्त कर रहा हो तो वैसी स्थिति में उन्हें अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त नहीं होगा । अगर कोई कर्मी पहले ही एक नियमित प्रोन्नति पा चुका है, तो वह ए०सी०पी०ओ० योजनान्तर्गत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण हेतु केवल 24 वर्षो की लगातार सेवा पूरी करने के पश्चात ही पात्र होगा । अगर कोई कर्मी नियमित आधार पर पूर्व में ही दो प्रोन्नति प्राप्त कर चुका है तो उन्हें ए०सी०पी०ओ० योजनांतर्गत कोई लाभ देय नहीं होगा ।

6. ए०सी०पी०ओ० योजनांतर्गत लाभ प्रदान करने हेतु परिवीक्षा अवधि (नियमित सेवा) की गणना श्रेणी-विशेष, जिसमें संबंधित कर्मी सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त हुआ हो और वित्तीय उत्क्रमण विचाराधीन हो, से की जायेगी ।

7. ए०सी०पी०ओ० योजना के तहत वित्तीय उत्क्रमण हेतु सामान्य प्रोन्नति मानकों यथा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता, उच्चतर योग्यता की प्राप्ति आदि, जो भर्त्ती एवं प्रोन्नति नियमावली में निहित है, को प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

8. वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त करने के बाद भी पदधारक मूल पद के कर्त्तव्यों का ही संपादन/निर्वहन करेंगे तथा पदनाम भी संवर्गीय पद की रिक्ति एवं उसके विरूद्ध नियमित प्रोन्नति होने तक पूर्ववत रहेगा । एकाकी पद होने की स्थिति में पदधारक अनुसूची-1 में वर्णित अगले वेतनमान में वित्तीय उत्क्रमण का लाभ प्राप्त करेंगे किन्तु पद रिक्त होते ही, वह मूल कोटि का हो जायेगा ।

9. इस योजना के तहत वित्तीय उत्क्रमण के फलस्वरूप उत्तर वेतनमान के आधार पर संबंधित सरकारी सेवक को सरकारी आवास का आवंटन, गृह निर्माण अग्रिम सहित अन्य अग्रिम का लाभ देय होगा, किन्तु राजकीय उत्सवों, अलंकरण समारोहों, उच्चतर पदों पर प्रतिनियोजनों आदि के लिए वे अपने मौलिक/निम्नतर वेतनमान के अनुरूप ही सुविधा प्राप्त कर सकेंगे ।

10. इस योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन सरकारी सेवक को उसके संवर्ग के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित वर्तमान पद श्रृंखला के वेतनमानों में मिलेगा और इसके लिए कोई नया पद सृजित नहीं किया जायेगा । परन्तु एकल पद एवं ऐसे पद/पद समूह/संवर्ग जिसमें विशिष्ट रूप से पद सोपान नहीं बने हुए हैं और सीधे राज्य सेवा/संवर्ग में कुछ परिभाषित पद ही प्रोन्नति हेतु कर्णांकित हैं, उनके संबंध में सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग द्वारा अनुसूची-1 में निर्दिष्ट वेतनमान के तुरंत बाद वाले वेतनमान में ही वित्तीय उन्नयन दिया जायेगा । (लगा....3 पर)

11. एसीपी0 योजनांतर्गत वित्तीय उत्क्रमण विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत होगा एवं इसका वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा । तदनुसार, संवर्ग में कनीय कर्मी को एसीपी0 योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरीय कर्मी को अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण/वेतन का संरक्षण देय नहीं होगा ।

12. एसीपी0 योजनांतर्गत उत्क्रमित होने पर संबंधित कर्मी का वेतन भारत सरकार के मौलिक नियमावली के नियम-22{। ए।} के प्रावधानों एवं इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन निर्धारित किया जायेगा । एसीपी0 योजना के तहत प्रदत्त वित्तीय लाभ अंतिम होगा अर्थात उच्चतर वर्ग के क्रियाशील पद के विरूद्ध पदस्थापन के समय पुनः कोई वेतन निर्धारण लाभ देय नहीं होगा ।

13. एसीपी0 योजनांतर्गत उच्चतर वेतनमान की स्वीकृति इस शर्त्त के अधीन दी गयी मानी जायेगी कि भविष्य में नियमित प्रोन्नति के पद उपलब्ध होने की स्थिति में संबंधित सरकारी सेवक को उसे स्वीकार करना होगा । नियमित प्रोन्नति के पद को अस्वीकार करने की स्थिति में वे सामान्य अनुदेशों में यथा प्रस्तावित, नियमित प्रोन्नति हेतु वंचित समझे जायेंगे । किन्तु जैसे ही एवं जब भी वे इसके पश्चात् नियमित प्रोन्नति स्वीकार करते हैं तो वे एसीपी0 योजनांतर्गत द्वितीय उत्क्रमण हेतु उच्चतर श्रेणी में अपेक्षित अर्हक सेवा/अवधि पूर्ण करने के पश्चात ही योग्य होंगे । यह इस शर्त्त के अधीन होगा कि जिस अवधि हेतु वे नियमित प्रोन्नति से वंचित किये गये है उस अवधि की गणना वित्तीय उत्क्रमण हेतु नहीं की जायेगी ।

14. अनुशासनात्मक/दंडात्मक कार्रवाई के मामले में एसीपी0 योजना के अंतर्गत लाभों की स्वीकृति सामान्य प्रोन्नति के नियमों के अधीन प्रदान की जायेगी ।

15. प्रस्तावित एसीपी0 योजना केवल वित्तीय लाभ हेतु उच्चतर वेतनमान/श्रेणी में मात्र व्यक्तिगत आधार पर स्थापित करने का विचार करता है और यह संबंधित कर्मी के वास्तविक/नियमित क्रियाशील प्रोन्नति के समरूप नहीं होगा । चूँकि प्रोन्नति में आरक्षण से संबंधित आदेश केवल नियमित प्रोन्नति पर ही लागू है, आरक्षण आदेश/रोस्टर एसीपी0 पर लागू नहीं होगा एवं इसका लाभ सभी योग्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कर्मियों को भी समान रूप से देय होगा, किन्तु नियमित/क्रियाशील प्रोन्नति के समय संवर्ग नियंत्री पदाधिकारी सभी आरक्षण नियमों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

16. एसीपी0 योजना के अंतर्गत केवल नियमित सेवा की गणना की जायेगी । कार्यभारित आकस्मिक, तदर्थ, संविदा, दैनिक, मास्टर रोल आदि के आधार पर नियुक्त कर्मियों को इस योजना का लाभ अनुमान्य नहीं होगा ।

17. इस योजना का लाभ राजकीयकृत विद्यालय/अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों/यू0जी0सी0/आई0सी0ए0आर0/एन0सी0ई0आर0टी0 आदि वेतनमान प्राप्त करने वाले शिक्षकों/पदाधिकारियों को देय नहीं होगा । इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मी जिनके लिए अलग से किसी विशेष प्रोन्नति योजना का प्रावधान पूर्व से किया हुआ है, उन्हें भी इस योजना का लाभ देय नहीं होगा ।

18. राज्य सरकार से सहायता प्राप्त सभी स्वायत्तशासी संस्था, विश्व विद्यालय/महा विद्यालय सहित/ राज्य सरकार द्वारा सृजित/अधिगृहित भारतीय कंपनी अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के तहत सहित नियम/निकाय/पर्षद या सदृश संस्थानों में कार्यरत कर्मी इस योजना की परिधि में नहीं आयेंगे । ऐसी संस्थानों के द्वारा नियुक्त कर्मी का वेतनादि, सुविधायें संबंधित संस्था के द्वारा उनके आय-व्यय, बजट के तहत उपलब्ध कराया जाता है, सरकार इस संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा किन्तु ऐसी सुविधाओं की भरपाई के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष सहायता/अनुदान नहीं दिया जायेगा और न सरकार किसी रूप में इसके लिए उत्तरदायी होगी । सरकार ऐसी संस्था को ऋण/अनुदान निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्धारित मार्ग दर्शन के अनुसार देती है। सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले बोर्ड/निगम/निकाय आदि अपने कर्मियों को सुविधा देते समय इस बात को पूर्ण रूपेण ध्यान में रखेंगे कि दी जानेवाली सुविधा, वेतन, किसी भी स्थिति में समान अवस्था वाले राज्यकर्मियों से अधिक नहीं हो अन्यथा सहायता की राशि में कटौती कर दी जायेगी । {लगा..4}

4. सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना लागू किये जाने के पश्चात् संवर्गीय रिक्त पदों पर प्रो-
की प्रक्रिया कुप्रभावित नहीं होगी। संगत नियम/निदेश के आलोक में विभागीय प्रोन्नति
समिति संवर्ग में रिक्त नियमित पदों पर प्रोन्नति देनेकी कार्रवाई आवश्यक छान-बीन के
बाद भरी करेगी।

5. एoसीoपीo योजना के तहत लाभ स्वीकृति के मामले पर विचार करने के लिए विभागीय स्तर
पर एक स्क्रीनिंग समिति गठित की जायेगी। स्क्रीनिंग समिति की संरचना वही होगी, जो
नियमित प्रोन्नति पर विचार करने के लिए संगत भर्ती/सेवा नियमावली में विभागीय प्रोन्न-
ति समिति की है, परन्तु यदि विभागीय प्रोन्नति समिति झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/
सदस्य की अध्यक्षता में गठित है, तो एoसीoपीo योजना के तहत स्क्रीनिंग समिति मुख्य सचिव/
सदस्य, राजस्व पर्षद/विकास आयुक्त/समकक्ष पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित होगी।

6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग विभिन्न विभागों के ऐसे वरीय पदों के पदधारकों को
सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए स्क्रीनिंग समिति की संरचना
के संबंध में स्थायी आदेश निर्गत करेगा। एकाकी पदों के लिए स्क्रीनिंग समिति का गठन
उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

7. एoसीoपीo योजना को प्रभावकारी ढंग से लागू करने हेतु स्क्रीनिंग समिति समयबद्ध कार्यक्रम
तय करेगा। समिति की बैठक एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार-जनवरी एवं जुलाई के
प्रथम सप्ताह में आयोजित की जायेगी ताकि वित्तीय उन्नयन की अग्रिम योजना तैयार की
जा सके और देय तिथि के पूर्व कर्मचारी विशेष के वित्तीय उन्नयन के मामले पर कमिटी का
निर्णय प्राप्त हो जाय।

8. योजना को कारगर बनाने के लिए संवर्ग नियंत्री पदाधिकारी प्रथम स्क्रीनिंग समिति का गठन
वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आदेश निर्गत होने के एक माह के अंदर गठित करेंगे, ताकि परि-
पक्व मामले पर तुरंत निर्णय लिया जा सके।

9. एoसीoपीo योजना केन्द्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है अतः इस संबंध में भारत सरकार
द्वारा समय-समय पर निर्गत स्पष्टीकरण (स्टाटिस गुटेंडिस) (राज्य
कर्मियों के मामले में भी लागू होंगे।

10. यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम बार लागू किया गया है और इसका अनुसरण करते हुए
इसे राज्य कर्मियों के प्रसंग में अपनाया जा रहा है। अतः ऐसी प्रोन्नति औपबंधिक रूप से
देने के लिए प्रशासी विभाग को अधिकृत किया जाता है। प्रशासी विभाग एक वर्ष के अंदर
दी गयी औपबंधिक प्रोन्नति की संपुष्टि वित्त विभाग से करा लेंगे। वित्त विभाग, प्रशासी
विभाग के द्वारा दी गयी औपबंधिक प्रोन्नति को संशोधित अथवा निरस्त करने में सक्षम
होगा।

(लगा...5 पर)

अनुसूची-1

सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लिये वेतनमानों की सूची :-

---

1. 2550-55-2660-60-3200/-
2. 2610-60-3150-65-3540/- 2A. 2610-60-2910-65-3300-70-4000/- (Ord. No. 3109 dt. 30.12.05)
3. 2650-65-3300-70-4000/-
4. 2750-70-3800-75-4400/-
5. 3050-75-3950-80-4590/-
6. 3200-85-4900/-
7. 4000-100-6000/-
8. 4500-125-7000/-
9. 5000-150-8000/-
10. 5500-175-9000/-
11. 6500-200-10500/-
12. 7500-250-12000/-
13. 8000-275-13500/-
14. 10000-325-15200/-
15. 12000-375-16500/-
16. 14300-400-18300/-

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

झारखंड राज्यपाल के आदेशानुसार,

ह0/-

(देवाशीष गुप्ता)

सचिव, वित्त विभाग, झारखंड, रांची ।

ज्ञाप संख्या-3/एस. 6-प्रोन्नति(-02/2002-5207/वि. रांची. दिनांक-14-8-2002

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड, वीरचंद पटेल पथ, पटना/डोरंडा, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-एस0 उस0 दत्त,

सरकार के उप सचिव, वित्त विभाग, झारखंड, रांची

झारखंड सरकार,

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।

ज्ञापांक-5/प्रो. 101/02- 4927 / रांची, दिनांक- 1/11/02

प्रतिलिपि-मुख्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण रांची प्रक्षेत्र/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वा0 अभियंत्रण विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1/11/02

(सियाशरण [illegible])

निदेशक,

ज्ञा/-